

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

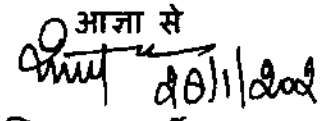
क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश. / 325 /2021

दिनांक 28.01.2021

श्रीमती भानूप्रिया सेहरा (RJ1200), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली (जयपुर जिला, जयपुर) को दिनांक 01.02.2021 से 30.07.2021 तक 180 दिनों का मातृत्व अवकाश (प्रथम संतान) दिनांक 31.01.2021 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

सुश्री प्रिया यादव (RJ1158), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली (जयपुर जिला, जयपुर) को श्रीमती भानूप्रिया सेहरा के उक्त मातृत्व अवकाश की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली (जयपुर जिला, जयपुर) के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित / नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

1. ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित है, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
2. सुश्री प्रिया यादव (RJ1158), जिनको अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली (जयपुर जिला, जयपुर) के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/65/2017/११०

दिनांक 28.01.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर जिला, जयपुर को उनके पत्रांक 539 दिनांक 12.01.2021 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती भानूप्रिया सेहरा (RJ1200), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली (जयपुर जिला, जयपुर)
4. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली (जयपुर जिला, जयपुर)
5. सुश्री प्रिया यादव (RJ1158), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली (जयपुर जिला, जयपुर)
6. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली (जयपुर जिला, जयपुर)
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर।


सहायक रजिस्ट्रार